न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर) टोंक

(के0 के0 शर्मा,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 106/2011
प्रविष्टि दिनांक 3-4-2011

1-नारायणसिंह पुत्र भँवरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम महुआ तह0 टोंक जिला टोंक

2-गजराजसिंह पुत्र भँवरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम महुआ तह0 टोंक जिला टोंक

.... प्रार्थीगण

बनाम

1- सक्षम प्राधिकारी एंव अतिरिक्त जिला कलेक्टर, भूमि अवाप्ति,राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12 टोंक राज0
2- राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली जरिए परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण टोंक
3- भॅवरलाल पुत्र सुखलाल गुर्जर
4- रामेश्वरी बेवा राधेश्याम जाति खटीक
5- सुनीता पुत्री राधेश्याम जाति खटीक
6- सिकन्दर पुत्र श्योजी खटीक
7- शकुन्तला बेवा श्योजी
8- मोहन पुत्र लक्ष्मीनारायण
9- राजू पुत्र लक्ष्मीनारायण
10-पप्पू पुत्र लक्ष्मीनारायण
11-पार्वती बेवा सुन्दर
12-रामदेवा पुत्र जगन्नाथ खटीक निवासियान ग्राम महुआ तह0 टोंक व जिला-टोंक राज0
13-यू0को0 बैंक शाखा टोंक जरिए शाखा प्रबन्धक यूको बेंक टोंक

.... प्रतिपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राज मार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित-(1) श्री सीताराम विजय अभिभाषक प्रार्थीगण की ओर से
(2) श्री रामधन सैनी अभिभाषक प्रतिपक्षीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक 13-11-19

प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राज मार्ग सं0 12 के 52/481 कि0मी0 से 157/500 कि0मी0 जयपुर टोक देवली सेक्शन के निर्माण में

आरबीट्रेटर
राष्ट्रीय राज मार्ग सं0 12
(जिला कलक्टर) टोंक

जिसका कि ...

ग्राम महुआ में स्थित भूमि ख0नं0 469 रकबा 2600 व0मी0 का अधिग्रहण कर 215158/रूपये का मुआवजे का भुगतान प्रार्थीगण व प्रतिपक्षीगण सं0 3 ता 12 को किया गया है। अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया है कि प्रार्थीगण के पूर्वजो के समय से प्रश्नगत भूमि मौखिक विभाजन में प्रार्थीगण के हिस्से में आने से अप्रार्थीगण सं0 3 व 12 का इस भूमि में कोई हक नहीं है। इसी तरह अवाप्तशुदा भूमि पर प्रार्थीगण के दो कच्चे घर व पितरो का देवस्थान बना हुआ है तथा शेष भूमि स्वंय प्रार्थीगण ही काश्त कर रहे हैं। अतः अप्रार्थीगण सं0 3 व 12 को गल्त रूप से मुआवजा दिया गया है एवंम अवाप्तशुदा भूमि पर निर्माण स्ट्रक्चर का मुआवजा भी प्रार्थीगण को ही देय है। प्रार्थीगण के अभिभाषकगण ने आगे कथन किया कि मुआवजा जिन आधारो पर तय किया गया है व डी.एल.सी. दरो का भी ध्यान नहीं रखा गया है। अवाप्तशुदा भूमि का मूल निर्धारण उचित प्रकार से नही किया गया है। प्रार्थीगण ने यह भी उल्लेख किया है कि अवाप्तशुदा भूमि रोड़ से 200 मी0 की परिधि में स्थ्ति होने से मुआवजा 5.50 लाख रू. प्रति बीघा की दर से होना चाहिए था। अवाप्तशुदा भूमि वर्षो से प्रार्थी के हक व हिस्से में आने एवम् इस भूमि पर निर्मित कच्चे मकान, पितरों का चबूतरे का मुआवज स्वंय के नाम मुआवजा प्राप्त करने के लिए प्रार्थीगण ही एक मात्र हकदार है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं अवार्ड पत्रावली 1406/2009 दिनांक 6–7–2010 तलब की गई।

अप्रार्थी नम्बर–2 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि उक्त वादग्रस्त आराजी ख0नं0 469 रकबा 2600 व0मी0 अधिग्रहित की गई थी तथा आराजियात पर काबिज खातेदार/हितकारी प्रार्थी नारायणसिंह, गजराजसिंह पुत्र भॅवरसिंह जाति राजपूत हिस्सा 1/3 व विपक्षी 3 लगायत 13 व गोपल पुत्र लक्ष्मीनारायण के पक्ष में 3ए गजट नोटिफिकेशन दिनांक 14–7–2009 के वक्त निर्धारित डीएलसी दर के आधार पर मुआवजा राशि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई है, जो नेशनल हाइवे एक्ट के प्रावधानो के तहत निर्धारित की गई है। प्रार्थी नितान्त विधि विरूद्ध गलत आधारों पर अतिरिक्त मुआवजा राशि प्राप्त करना चाहता है। प्रार्थना पत्र विधि सम्मत नहीं होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है। प्रार्थीगण को यदि मुआवजा राशि के निर्धारण व अवाप्ति के संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति थी तो प्रार्थी को 3ए गजट नोटिफिकेशन के प्रकाशन के 21 दिवस के भीतर आपत्ति प्रस्तुत करनी चाहिए थी। प्रार्थीगण द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की गई थी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रार्थीगण की आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात ही मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है। अब प्रार्थीगण किसी प्रकार का मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जावे।

हमने बहस अभिभाषकगण उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थीगण के अभिभाषक ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रतिपक्षीगण को अवार्ड की राशि का भुगतान गलत रूप से किया गया है। प्रार्थीगण

आरबीट्रेटर
राष्ट्रीय राजमार्ग मुकदमा 12
(जिला कलक्टर) टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

तथा अप्रार्थीगण 3 ता 12 व उनके पूर्वजों के मध्य मौखिक रूप से हुए तकास्मा, जो 50 वर्ष पूर्व हुआ है, के आधार पर ही अवाप्त भूमि में प्रार्थीगण के द्वारा निर्मित दो कच्चे घर बना रखे हैं, तथा पितरों का देवस्थान (चबूतरा) बना हुआ है एवंम शेष भूमि पर विगत 50 वर्षों से प्रार्थीगण ही फसल काश्त करते हैं। इस प्रकार अवाप्तशुदा भूमि से प्रतिपक्षीगण सं0 3 ता 12 का कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर अवार्ड सं0 1406/2009 दिनांक 6–7–2010 में निर्धारित राशि बढाई जाकर प्रतिपक्षीगण सं0 3 ता 12 के हक में मुआवजा राशि का पारित आवार्ड निरस्त कर प्रार्थीगण को दिलवाया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थीगण सं0 2 द्वारा लिखित जवाब पेश किया हुआ है। बहस के दौरान भी कथन किया कि वादग्रस्त आराजी की किस्म नहरी के हिसाब से 3ए गजट नोटिफिकेशन दिनांक 14.07.09 के वक्त निर्धारित डीएलसी दर 75.23 रू0 प्रति वर्ग मीटर के आधार पर अवाप्तशुदा रकबा 2600 वर्ग मीटर की मुआवजा राशि 1,95158 रूपये व 10 प्रतिशत अतिरिक्त क्षतिपूर्ति राशि 19560 रू0 कुल 215158/रू0 निर्धारित कर मुआवजा राशि का भुगतान हितबद्ध व्यक्ति के नाम सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई है, जो नेशनल हाइवे एक्ट के प्रावधानो के तहत निर्धारित की गई है। प्रार्थी नितान्त गल्त आधारों पर अतिरिक्त मुआवजा राशि प्राप्त करना चाहता है जो विधि विरूद्व होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र बिल्कुल ही निराधार एंव अस्पष्ट/अविधिक तथ्यों पर आधारित प्रस्तुत करते हुए केवल मात्र उत्तरदातागण को हैरान व परेशान करने व जनहित में कराए गये कार्य में अनावश्यक रूप से विध्न डालने के उद्देश्य से प्रेरित होकर प्रस्तुत किया गया है जो विशेष हर्जा 50000/रू पर निरस्तनीय है।

हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या– 2 की बहस सुनी। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अवार्ड पत्रावली व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत लिखित जवाब का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अति0 जिला कलेक्टर टोंक द्वारा अवार्ड संख्या 1406/2009 दिनांक 6–7–2010 से प्रतिपक्षीगण की भूमि ख0नं0 469 रकबा 2600 व0मी0 का अधिग्रहण कर 215158 रूपये का मुआवजे का भुगतान प्रतिपक्षीगण सं0 3 ता 12 को डी.एल.सी. दर से अधिनियम की धारा 3 (ए) व 3 (डी) अनुसार मुआवजे का निर्धारण नियमानुसार किया गया है। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक द्वारा तत्समय की जमावन्दी में अंकित किस्म के आधार पर ही अवार्ड पारित किया गया है। प्रार्थीगण ने दिनांक 27–8–2009 व दिनांक 22–9–2009 को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आपत्ति भी प्रस्तुत की है। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक द्वारा प्राप्त आपत्तियों के निरस्तारण के पश्चात ही अवार्ड जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। प्रकरण में नियमानुसार टाईट्ल के निर्धारण/परिवर्तन करने का अधिकार आरबीट्रेटर को नहीं है। अतः प्रार्थना

आरबीट्रेटर
राजमार्ग संख्या 12
कलेक्टर, टोंक

Scanned by CamScanner

पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है। तलबिदा रिकार्ड मय निर्णय प्रति सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक को प्रेषित किया जावे।

(के0के0 शर्मा)
आरबीट्रेटर एन.एच.–12
(जिला कलेक्टर)
टोंक
13.XI.19

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kishore Kumar Sharma
Date: 2019.11.22 12:04:28 IST
Reason: SelfAttested
Location: